शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध कार्यवाही

संख्या- 19/2015/936 /अडतीस-7-2015-407नरेगा/2010

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 27 मई, 2015**

विषय- मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना/कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से 07 जुलाई तक " वन महोत्सव " कार्यक्रम मनाया जाता है तथा 01 जुलाई से ही वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। वर्ष 2015-16 में वन विभाग द्वारा 05 करोड पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त कार्यक्रम की सार्थकता तभी हो सकती है, जब वन विभाग द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत प्रस्तुत योजना/ कार्ययोजना को समय से स्वीकृति प्रदान की जाय, जिससे कि विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर समय से प्रारम्भ कराया जा सके।

2- शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय जिलाधिकारियों/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अभी तक योजना/कार्ययोजना स्वीकृत नहीं किया गया है जिसके कारण वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। चूंकि वृक्षारोपण एक मौसम आधारित कार्यक्रम है, जिसमें ससमय कार्यवाही अत्यावश्यक होती है। अतः अनुरोध है कि वन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी योजना/कार्ययोजना को जनपद के अनुमोदित लेबर बजट के सापेक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 19/2015/936 (1)/अड्तीस-7-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ/अपर प्रमुख वन संरक्षक सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि जिलाधिकारियों/जिला कार्यक्रम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्रताशीघ्र कार्य योजना स्वीकृति कराकर वृक्षारोपण प्रारम्भ करायें।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in